रजिस्ट्री सं० डी- 222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 22, 1972 (आषाढ़ 31, 1894)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 22, 1972 (ASADHA 31, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 24 जनवरी 1972 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 24th January 1972 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
1	2	3	4

शून्य
—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	765
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1151
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1023
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम (आदि समीनि हैं।)	1797
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	2695
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	409
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	991
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	215
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	75
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	1121
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	141
पूरक संख्या 30—	
15 जुलाई, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	1381
24 जून, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े	1393

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	765
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1151
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1023
PART II—SECTION 1.—Arts. Ordinances and Regulations	--
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	--
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Govtrnment of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).	1797
PART II—SECTION 3.—SUB.SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2695
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	409
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	991
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	215
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	75
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1121
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	141
SUPPLEMENT No. 30—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 15th July, 1972	1381
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week end 24th June, 1972	1393

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 1972

सं० 10/11/72-सी० एस०-II—दिसम्बर, 1972 में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी ग्रेड के लिए प्रवरक सूची में सम्मिलित करने के लिए एक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

2. प्रवरक सूची में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या संस्था द्वारा जारी किये गये नोटिस में बता दी जायेगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में आरक्षण सरकार के निश्चय के अनुसार किये जाएंगे।

अनुसूचित जातियों /अनुसूचित आदिम जातियों का अर्थ है बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1956, संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोवा,दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 तथा संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 और संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 के साथ पठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956 में उल्लिखित कोई भी जाति या आदिम जाति।

3. सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्था द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जायेगा। किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जायेगी, इसका निर्धारण संस्थान करेगा।

4. (1) निम्नलिखित वर्गों के व्यक्ति, जो निम्नलिखित पैरा (2) में निर्धारित सेवावधि और आयु के संबंध में शर्तें पूरी करते हों आवेदन पत्र देने के पात्र होंगे —

(i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के स्थायी अवर श्रेणी लिपिक,

(ii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में नियमित रूप से नियुक्त किए गए अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक,

(iii) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग-बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक,

(iv) संवर्ग-बाह्य पदों पर नियुक्त अथवा अन्य सेवा में 'स्थानान्तरण' पर नियुक्त परन्तु जिसका केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में पुनर्ग्रहणाधिकार हो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक,

(2) **सेवावधि और आयु-उपर्युक्त वर्गों के व्यक्तियों की**—

(क) सेवा 1-7-72 को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में अथवा किसी समान ग्रेड में पांच वर्ष की अनुमोदित और लगातार सेवा से कम न हो।

(ख) आयु 1-7-1972 को 35 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जुलाई, 1937 से पहले न हुआ हो।

टिप्पणी-1—स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशतः केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशतः उपरोक्त (क) तथा (ख) में वर्णित कहीं और की गई हो।

टिप्पणी-2—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी निम्न श्रेणी लिपिक, जिसने 26 अक्टूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषण के प्रवर्तनकाल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि मिलाकर, यदि कोई हो) निर्धारित न्यूनतम सेवा में गिन सकेगा।

टिप्पणी-3—"समान ग्रेड" का अर्थ किसी भी ग्रेड से है जिसके निम्नतम और अधिकतम वेतनमान 1 जुलाई,

1959 के पूर्व क्रमशः 55 रु० और 130 रु० से कम नहीं थे और 1 जुलाई, 1959 को अथवा बाद में क्रमशः 110 रु० और 180 रु० से कम नहीं है।

टिप्पणी-4—"नियमित रूप से नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक" का अर्थ उस लिपिक से है जो विकेन्द्रीकरण (1962) के समय किसी संवर्ग में आबंटित था अथवा उसके बाद निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार अवर श्रेणी ग्रेड में दीर्घकालीन आधार पर नियुक्त हो।

टिप्पणी-5— ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से निःसंवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्त हों उन्हें अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जायेगा तथा यह बात उन निम्न श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होती जो "स्थानान्तरित" रूप में निःसंवर्गीय पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गये हों और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहण अधिकार (लियन) न रखते हों।

(ग) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिक के मामले में जिसने 26 अक्टूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तनकाल में अर्थात् 26 अक्टूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना सेवा की हो और वहां से प्रत्यावर्तित हो गया हो, सशस्त्र सेना में अपनी सेवा (प्रशिक्षण अवधि समेत यदि कोई हो) की अवधि तक छूट दी जायगी।

(घ) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और अधिक छूट दी जायगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी 1964 या उसके बाद परन्तु 25 मार्च 1971 से पहले प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(iv) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो और किसी स्तर पर उसकी शिक्षा फ्रेंच भाषा के माध्यम से हुई हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार लंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर 1964 को या उसके बाद लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा लंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्जित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 को भारत लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(ix) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्जित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और 1 जून, 1965 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो और बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्जित भारतीय मूल का व्यक्ति भी हो और 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(xi) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में सैनिक कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसका परिणाम स्वरूप नौकरी से निमुक्त रक्षा-सेवा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष तक, और

(xii) किसी दूसरे देश में संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में सैनिक कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निमुक्त-सेवा कार्मिकों के लिए,

जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित हो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जायगी।

(3) **टाईपकारी परीक्षा**:—यदि किसी उम्मीदवार को निम्न श्रेणी ग्रेड में स्थायीकरण के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल (अब सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान) की टाइपकारी की परीक्षा उत्तीर्ण करने में छूट न मिली हो तो इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले यह टाइपकारी की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिये।

4. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में इस संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

5. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायगा जब तक उसके पास संस्थान का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

6. यदि कोई उम्मीदवार संस्थान द्वारा इस बात के लिए घोषित किया जाए या कर दिया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किये हैं या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें हेरा-फेरी की गई है या गलत या झूठ वक्तव्य दिये हैं या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों से काम लिया है या काम में लाने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में कोई अनुचित आचरण किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोजीक्यूजन) चलाया जा सकता है और साथ ही:—

(क) उम्मीदवारों के चुनाव के लिए संस्थान उसे हमेशा के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए, अपने द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या साक्षात्कार (इन्टरव्यू) में शामिल होने से रोक सकता है।

(ख) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

7. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो संस्थान द्वारा उसका आचरण ऐसा समझा जाएगा जिसमें उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा।

8. उम्मीदवारों को संस्थान की विज्ञप्ति के पैरा 5(1) में निर्धारित शुल्क (फ़ीस) देना होगा।

9. संस्थान परीक्षा के बाद हरेक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर उनको योग्यता के क्रम से उनके नामों की सूची बनाएगा और उसी क्रम से उतने ही उम्मीदवारों के नाम अपेक्षित संख्या तक उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगा जो संस्थान के निर्णय के अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गये हों।

परन्तु शर्त है कि यदि किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों तक नहीं भरे जा सके, तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए स्तर में छूट देकर परीक्षा में योग्यता क्रम में उनकी रैंक का ध्यान किए बिना, यदि वे स्वस्थ हुए तो संस्थान द्वारा सिफारिश किए जा सकेंगे।

टिप्पणी—उम्मीदवारों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालिफाइंग एक्जेमिनेशन) इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में कितनी उम्मीदवारों का नाम शामिल किये जायें, इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है। इस लिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उस के द्वारा परीक्षा में दिए गए उत्तरों के आधार पर उसका नाम प्रवर-सूची में शामिल किया ही जाये।

10. हर एक उम्मीदवार की परीक्षा फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाय। इसका निर्णय संस्थान अपने विवेकानुसार करेगा और संस्थान परिणामों के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

11. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने मात्र से ही चुनाव का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद सन्तुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चुनाव के लिए हर प्रकार से पात्र और उपर्युक्त है।

12. जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अपने पद से त्याग पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हों या किसी निःसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा में "स्थानान्तरण" द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहणाधिकार न रखता हो, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

तथापि यह उस निम्न श्रेणी लिपिक पर लागू नहीं होता जो, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति के रूप में नियुक्त किया जा चुका हो।

एम० के० वासुदेवन,
अवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी:—

भाग-1—नीचे परिच्छेद-2 में बताए गए विषयों की कुल 300 अंकों की लिखित परीक्षा ।

भाग-2—संस्थान द्वारा अपने विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारों के सेवा-वृतों (रेकार्ड आफ सर्विज) का मूल्यांकन, जिनके बारे में वह फैसला करेगा, और इसके लिए अधिकतम अंक 100 होंगे।

2. भाग-1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए अधिकतम अंक तथा दिया जाने वाला समय इस प्रकार होगा:—

विषय	अधिकतम अंक	दिया गया समय
(I) निबन्ध तथा सार लेखन		
(क) निबन्ध .	50 } 100	2 घंटे
(ख) सार लेखन .	50 }	
(II) आलेखन व टिप्पण तथा कार्यालय पद्धति . .	100	2 घंटे
(III) सामान्य ज्ञान .	100	2 घंटे

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण संलग्न अनुसूची में दिये अनुसार होगा।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प करने की अनुमति दी जाती है परन्तु शर्त है कि सभी प्रश्न-पत्रों अर्थात् (I) निबन्ध तथा सारलेखन, अथवा (II) टिप्पणी लेखन, मसौदा लेखन और कार्यालय पद्धति, अथवा (III) सामान्य ज्ञान में से किसी एक प्रश्न पत्र का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अवश्य लिखना है।

टिप्पणी—यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र के लिए होगा न कि एक ही प्रश्न पत्र में अलग-अलग प्रश्नों के लिए,

टिप्पणी 2—जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्नपत्रों के उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी (देवनागरी) में लिखना चाहते हैं उन्हें यह बात आवेदन पत्र के खाना 6 में स्पष्ट रूप से लिख देनी चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे प्रश्नपत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखेंगे।

टिप्पणी 3—उम्मीदवारों के बाद में अपने विकल्प बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी 4—प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में दिए जाएंगे।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. संस्थान अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालीफ़ाइंग नम्बर) निर्धारित कर सकता है।

7. केवल कोरे सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिये जायेंगे।

8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जाएंगे।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि भावाभि-व्यक्ति कम से कम शब्दों, क्रमबद्ध तथा प्रभाव पूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्य-विवरण

(1) **निबन्ध तथा सार लेखन**

(क) निबन्ध विहित कई विषयों में से एक पर निबन्ध लिखना होगा।

(ख) सार लेखन-सक्षम। सार लिखने के लिए सामान्यतः अनुच्छेद किये जाएंगे।

(2) **टिप्पण व आलेखन तथा कार्यालय पद्धति**: इस प्रश्न पत्र का प्रयोजन सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यालय पद्धति के बारे में उम्मीदवारों का ज्ञान और सामान्यतः टिप्पण व आलेखन के लिखने तथा समझने में उम्मीदवारों की योग्यता जांचना है। उम्मीदवारों को चाहिए कि इसके लिए ये कार्यालय पद्धति की नियम-पुस्तक (मैन्वल आफ आफिस प्रोसीजर) तथा "रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट बिजनेस इन लोक सभा एण्ड राज्य सभा" पढ़ें

(3) **सामान्य ज्ञान**:— सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्याशी का भारतीय भूगोल तथा देश के प्रशासन सम्बन्धी ज्ञान तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों की वर्तमान घटनाओं के प्रति, बुद्धिमतापूर्ण जागरूकता जिसकी किसी शिक्षित मनुष्य से अपेक्षा की जा सकती है, की परीक्षा लेना है।

प्रत्याशियों के अन्तरों से उनके किन्ही पाठ्य-पुस्तकों, प्रतिवेदनों इत्यादि के विस्तृत ज्ञान की नहीं, अपितु उनके प्रश्नों को बुद्धिमत्तापूर्ण तौर पर समझने की क्षमता प्रदर्शित हो।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई, 1972

संकल्प

सं० 3-4/69-एम० सी०एच० :— स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (परिवार नियोजन विभाग) के संकल्प 3-4/69 -एम० सी० एच० दिनांक 28 जून, 1971 में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि श्रीमती देवकी गोपीदास, भूतपूर्व संसद् सदस्य, कोट्टयाम, केरल, के त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्रीमती उमा राय, भूत-पूर्व संसद् सदस्य, मालदा (पश्चिम बंगाल) केन्द्रीय प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सलाहकार समिति की सदस्य होंगी।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की एक एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजी जाए।

आगे आदेश है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

दीना नाथ चौधरी,
निदेशक।

कृषि मंत्रालय
(कृषि विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 1972

सं० 24-1/72-सा० स० :— भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के डा० वी० एच० शाह, वरिष्ठ सस्य विज्ञानी की हाल ही की दुखद आत्म हत्या पर संसद् तथा जनता द्वारा व्यक्त अत्यधिक चिन्ता के फलस्वरूप, भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की भर्ती नीतियों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त एक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में 1 जुलाई, 1972 से लगभग 6 माह की अवधि के लिये एक उच्चस्तरीय समिति स्थापित करने का निश्चय किया है, जिसमें विज्ञान तथा शिक्षा क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति इस समिति के सदस्यों के रूप में सम्मिलित होंगे ।

2. इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(i) डा० शाह द्वारा आत्म हत्या करने से पूर्व, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के नाम लिखे 5 मई, 1972 के पत्र में डा० शाह द्वारा उल्लिखित वक्तव्यों और घटनाओं की जांच ।

(ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् संस्थानों तथा इसके अधीन कार्य कर रहे केन्द्रों में भर्ती तथा कार्मिक सम्बन्धी नीतियों का पुनरीक्षण और उनमें सुधार के लिये उपायों का सुझाव देना ।

(iii) तत्सम्बन्धी किसी भी अन्य मामले पर विचार करना, जो कि समिति की दृष्टि में सक्रिय सिफारिशें देने में उन्हें सहायक सिद्ध हों ।

3. फिलहाल इस के अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारतीय महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, समस्त राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों, कृषि विभागों, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के समस्त संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों, लोक सभा राज्य सभा सचिवालय, संसद् पुस्तकालय (5 प्रतियां) को प्रेषित की जाये ।

आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिये यह संकल्प भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाये ।

का० मु० अहमद, संयुक्त सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण एवं संस्कृति मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 1972

सं० 1-37/71 स्कल-4 :—राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नियमों (अभी तक यथा संशोधित) के नियम 7 और 8 के उपबन्धों के साथ पढ़े जाने वाले उप नियम 3(4) और 3(7) के उपबन्धों के अनुसरण में और अपनी अधिसूचना संख्या 1-37/71 स्कूल-4, दिनांक 29 मार्च, 1972 का प्रसंग जारी रखते हुए भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के सदस्यों की सदस्यता की अवधि 30-9-1972 तक सहर्ष बढ़ाती है ।

नियम 3(4)

(1) डा० के० एल० श्रीमाली
उप कुलपति
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी ।

(2) प्रो० एस० एन० सेन
उप कुलपति
कलकत्ता विश्वविद्यालय,
कलकत्ता ।

(3) श्री एन० डी० सुन्दरवल्लिवेलु,
उप कुलपति,
मद्रास विश्वविद्यालय,
मद्रास ।

(4) श्रीमती शारदा दीवान,
उप-कुलपति,
एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय
1, नथीबाई थैकरसी मार्ग,
बम्बई-20 (बी० आर०) ।

नियम 3(7)

(1) श्री भक्त दर्शन
15 गुरुद्वारा रकाब गंज रोड,
नई दिल्ली -1 ।

(2) श्री एच० नरसिमहैया ,
प्रधानाचार्य,
नेशनल कालेज ,
बंगलौर ।

(3) श्री आई० जे० पटेल,
सम्पर्ण डी-4,
गुलबाई का ठेकरस ,
अहमदाबाद ।

(4) श्री एस० पी० वर्मा ,
उप सचिव,
शिक्षा विभाग,
मध्य प्रदेश सरकार ,
भोपाल ।

(5) प्रो० रईस अहमद
भौतिक विज्ञान के प्रधान,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
अलीगढ ।

(6) श्री डी० आर० फटनगारे (गुरुजी) अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ,
थामबरे भवन,
कोपर गांव,
जिला अहमद नगर
महाराष्ट्र ।

(7) श्री एस० वी० चित्ती बाबू
स्कूल शिक्षा निदेशक,
तमिलनाडु, मद्रास-6।

(8) कुमारी के० पसरीचा
प्राधानाचार्य,
कन्या महाविद्यालय,
जालन्धर शहर।

(9) डा० डी० एन० गोखले
डेकन शिक्षा संस्थान,
न्यू इंगलिश, स्कूल,
तिलक मार्ग,
पूना-9

(10) डा० के० कुरेविला जेकब
प्राधानाचार्य,
केथेड्रस तथा जाह्न केनन स्कूल,
6-ओटरानी, रोड,
बम्बई।

(11) श्री अब्दुल गनी साहब
429 पी० आर०, स्ट्रीट
मुस्लिम पुरा,
बनीयामबाडी जिला नार्थ,
आरकोट,
तमिल नाडु।

(12) श्री० के० सुकुमारन
शिक्षा अधिकारी,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
नेहरू भवन,
बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-,।

के० के० बक्शी अवर सचिव,

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 1972

संकल्प

सं० 2-पी० जी० (69)-/71:—भारत सरकार को 1970-71 वर्ष के लिए कांडला पत्तन की प्रशासन रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातों की समीक्षा नीचे दी जा रही है :—

1. **वित्तीय स्थिति** :

गत वर्ष 1969-70 की तुलना में 1970-71 वर्ष के दौरान पत्तन की आय और व्यय का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित विवरण में दिया गया है :—

	रुपये लाखों में	
	1969-70	1970-71
1. परिचालन आय	201.38	197.64
2. परिचालन व्यय	194.92	218.32
परिचालन अधिशेष/घाटा .	(+) 6.46	(−) 20.68
जमा करें:		
वित्त तथा फुटकर आय . .	59.25	43.85
	65.71	23.17
घटाइये :		
वित्त तथा फुटकर व्यय . .	58.64	40.46
निवल अधिशेष/घाटा . .	(+) 7.07	(−) 17.29
सरकार से लिए गए ऋणों की वापसी अदायगी .	0.67	0.35
	(+) 6.40	(−) 17.64

1968-69 वर्ष के ब्याज और 1969-70 में उसकी वसूली के हिसाब में लेने के अलावा "परिचालन आय" में कमी मुख्य रूप से यातायात में कमी से कारण और वित्त तथा फुटकर आय में कमी, 1969-70 वर्ष में प्रोद्भवन आधार पर ब्याज के संभंजन के कारण थी।

1969-70 वर्ष की तुलना में 1970-71 वर्ष के दौरान परिचालन व्यय में हुई वृद्धि, मुख्य रूप से "कांडला" निकर्षक की मरम्मत और रखरखाव पर किये गए खर्च में वृद्धि और अन्य देख रेख लागत के कारण थी। गत वर्ष की तुलना में 1970-71 वर्ष में "वित्त तथा फुटकर" के अन्तर्गत खर्च में कमी, मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वियन और लेखानिधि की प्रोद्भवन पद्धति के चालू करने के परिणाम स्वरूप 1969-70 वर्ष में अधिक व्यय के कारण थी।

पत्तन न्यास के निर्माण के बाद लिए गए ऋणों के संबंध में 1970-71 वर्ष के अन्त में भारत सरकार को देय पत्तन का बकाया ऋण 250.98 लाख रुपया था।

विभिन्न निधियों आदि में वर्ष के अन्त में शेष रकमें निम्न-प्रकार से थीं :—

	रुपये लाखों में
(i) सामान्य आरक्षित निधि .	117.21
(ii) कन हारी राजस्व लेखा .	(—) 12.19
(iii) मूल्यह्रास के लिए व्यवस्था	265.68
(iv) निर्वाह निधि .	81.25
(v) कर्मचारी कल्याण निधि .	00.37

2. **यातायात**:

(क) व्यापार : 1969-70 की तुलना में 1970-71 में कांडला पत्तन से होकर गुजरने वाली यातायात का निम्नलिखित सारणी में उल्लेख किया गया है :—

वर्ष	आयात	निर्यात	कुल यातायात
	(लाख मीटरी टनों में)		
1969-70	18.04	3.06	21.10
1970-71	14.74	1.38	16.12

(ख) नौवहन : 1970-71 के दौरान पत्तन में पाल जहाजों के अतिरिक्त कुल 18.91 लाख टन भार के 232 जहाज प्रविष्ट हुए जबकि 1969-70 में कुल 22.63 लाख टनभार के जहाजों का प्रवेश हुआ था ।

3. **श्रम कल्याण क्रियाकलाप** :

आयात, उपभोक्ता सहकारी भण्डारों, शैक्षणिक सुविधाओं, क्लबों, कैंटीणों डाक्टरी सुविधाओं आदि की व्यवस्था जारी रही ।

4. **पूंजी कार्य** :

आलोच्य वर्ष के दौरान पूंजी कार्यों पर कुल खर्च, 45.88 लाख रुपये हुआ ।

निम्नलिखित विवरण, 1970-71 वर्ष के दौरान चालू महत्व-पूर्ण कार्यों के ब्यौरे को दिखाता है :—

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत रुपये लाखों में	31-3-1971 तक खर्च रुपये लाखों में
1	2	3	4
1.	दो अतिरिक्त माल घाटों का निर्माण	292.15	182.90
2.	नवीन कांडला में 330 क्वार्टरो का निर्माण	39.67	42.61
3.	सर्वा स्टेशन से कांडला तक बड़ी लाइन कर्षण का निर्माण	74.71	69.68
4.	माल जेटी का निर्माण जिसमें पारगमन के शेडें भी शामिल है	474.38	468.54
5.	एस० डी० कांडला निकषक की खरीद	91.97	89.91
6.	100 अ० श० गर्षनाव रूप वती की खरीद .	35.23	39.11
7.	बन्दर तथा माल जेटी के लिए वाट क्रेनों की खरीद तथा निर्माण .	75.40	73.74
8.	पांचवें घाट के सामने डायफाम दीवार का निर्माण .	39.48	29.90

5. **स्वीकारीकृत** :

सरकार के विचार में विचाराधीन वर्ष में पत्तन न्यास बोर्ड का का कार्य संतोषप्रद रहा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित संस्थाओं को भेजी जाये म

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्वे सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

के० शिवराज, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 1972

संकल्प

संख्या : 28-एम टी (26)/71—सारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन तथा संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग) के समय-समय पर संशोधित किये गए, संकल्प संख्या 24-एम०टी० (6)/52 दिनांक 17 अगस्त, 1959 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने 24 जनवरी, 1970 से दो वर्ष की अवधि के लिए व्यापारी बेड़ा प्रशिक्षण बोर्ड का पुर्नगठन किया था । 23-1-1972 को उक्त बोर्ड की कार्य-विधि की समाप्ति पर, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए एक व्यापारी बेड़ा प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना करती है ; जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे और इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से श्री बी० टी० कुलकर्णी, सदस्य राज्य सभा को उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नामांकित करती है :—

1. श्री बी० टी० कुलकर्णी	अध्यक्ष
2. महानिदेशक नौवहन	उप-अध्यक्ष पदेन
3. उप सचिव, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय, जोकि व्यापारिक बेड़ा प्रशिक्षण संस्थाओं से संबद्ध है ।	सदस्य पदेन

4. उप-सचिव वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) जोकि नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय से संबद्ध है	--यथोक्त--
5. भारत सरकार के मुख्य सर्वेक्षक	--यथोक्त--
6. भारत सरकार के नौ सलाहकार	--यथोक्त--
7. प्रिंसिपल, लाल बहादुर शास्त्री, नौ तथा इंजीनियरी कालेज, बम्बई ।	--यथोक्त--
8. कैप्टेन अधीक्षक प्रशिक्षण जहाज राजेन्द्र, बम्बई ।	--यथोक्त--
9. निदेशक, समुद्री इंजीनियरी प्रशिक्षण, कलकत्ता ।	सदस्य पदेन
10. कैप्टेन अधीक्षक रेटिंग प्रशिक्षण, स्थापना 'नौलक्षी' नवलखी, गुजरात ।	सदस्य पदेन
11. श्री साले भाई अब्दुल कादर, सदस्य, लोक सभा ।	संसद् के प्रतिनिधि
12. श्री जोचिम अल्वा, सदस्य राज्य सभा ।	--यथोक्त--
13. उप-शिक्षा सलाहकार (टी), पश्चिमी प्रादेशिक कार्यालय, इंडस्ट्रियल एशोयरेंस बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, वीर नारीमन रोड सामने, चर्चगेट स्टेशन, बम्बई -20।	शिक्षा मंत्रालय के प्रति निधि
14. कम्मोडोर गौतम सिंह, निदेशक, उप-समुद्री पक्ष, नौ मुख्यालय, नई दिल्ली ।	रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि (नौ मुख्यालय)
15. डा० पी० के० केलकर, निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, पोवई, बम्बई ।	आल इंडिया कौंसल फार टैक्नीकल एजुकेशन के प्रतिनिधि ।
16. कैप्टेन बी० एल० मित्तल, निदेशक, समुद्री विभाग, कलकत्ता पत्तन, आयुक्त, कलकत्ता ।	पत्तन न्यास का प्रतिनिधि ।
17. कैप्टेन आर० डी० कोहली, मुख्य तकनीकी प्रबंधक, शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, बम्बई ।	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के प्रति निधि ।
18. श्री एन० एच० धुनजी भाई, मैसर्स साऊथ इस्ट एशिया शिपिंग कम्पनी हिमालय हाऊस, डी० एन० रोड, बम्बई-1 ।	इंडियन नैशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि ।
19. कैप्टेन जी० पी० भल्ला, मैसर्स साऊथ इंडिया शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड 175/1, मांऊट रोड, मद्रास-2 ।	-यथोक्त -
20. कैप्टेन डी० हाटन/कैप्टेन बी० एम० पावरी (कलकत्ता में होने वाली बोर्ड की बैठक में एवजी सदस्य) ।	कलकत्ता लाइनर्ज कांफ्रेंस (क्रियूज) तथा ओनर्ज / एजेंट्स कमेटी (क्रियूज) बम्बई ।
21. श्री एच० एम० त्रिवेदी	फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, नयी दिल्ली के प्रतिनिधि ।
22. श्री जे० डी० रान्देरी	मैरीटाइम इयूनियन आफ इंडिया, बम्बई के प्रतिनिधि ।
23. श्री लियो बारनेस	नैशनल यूनियन आफ सीफेयराक आफ इंडिया, बम्बई के प्रतिनिधि ।
24. व्यापारी बेड़ा प्रशिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित उप-महानिदेशक, नौवहन ।	पदेन सदस्य - सचिव ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्रपति, के निजि तथा सेना सचिवों, प्रधान मंत्री के सचिवालय, मंत्रीमंडल सचिवालय भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों, पत्तन न्यासों तथा महानिदेशक, नौवहन बम्बई को भेज दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

जी० सी० बवेजा, संयुक्त सचिव,

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

नई दिल्ली-, दिनांक जून 1972

संकल्प

सं० ई० एल०-III-II(34)/71 :— इस मंत्रालय के संकल्प संख्या ई० एल०-III-II(34)/71, दिनांक 16 मई, 1972 में, जिसके अन्तर्गत सलाल जल-विद्युत् परियोजना की विभिन्न संरचनाओं के डिज़ाईन तथा निर्माण से संबंधित समस्याओं पर केन्द्रीय जल-विद्युत् परियोजना नियंत्रण बोर्ड को सलाह देने के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति स्थापित की गई थी, पैरा 1 में निम्नलिखित इंदराज क्रम संख्या 7 के रूप में रखी जाएगी ;

7. प्रो एस० सी० कटोच,
अध्यक्ष,
जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केन्द्र
रूड़की विश्वविद्यालय,
रूड़की (उत्तर प्रदेश),
वर्तमान इन्दराज संख्या 7 को क्रम
संख्या 8 के रूप में रखा जाए ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को प्रधान मंत्री मंत्री के सचिवालय, केबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार तथा योजना आयोग को भेज दिया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

बी० पी० पटेल, सचिव

नई दिल्ली-, दिनांक 29 जून, 1972

संकल्प

सं० ई० एल०-तीन-13(17)/70-सी० एम०:—दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के इंजीनियरों की विविध मांगों के संबंध में जांच करने के लिए श्री टी० शिवशंकर, आई० सी० एस० (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति के बारे में इस मंत्रालय के संकल्प संख्या ई० एल० तीन-13 (17)/70, दिनांकित 14 जनवरी, 1971 के क्रम में यह निश्चय किया गया है कि समिति की अवधि, जो इस मंत्रालय के संकल्प संख्या ई० एल० तीन-13(17)/70, दिनांक 24 अप्रैल, 1972 के अनुसार 31 मई, 1972 तक बढ़ा दी गई थी, आगे 31 अगस्त, 1972 तक और बढ़ा दी जाए ताकि वे इस मंत्रालय के संकल्प ई० एल० -तीन-13(17)/70, दिनांकित 11 दिसम्बर, 1971 द्वारा उन्हें निर्दिष्ट अतिरिक्त विषय (झ) के संबंध में अपनी रिपोर्ट दे सकें । समिति की अनुपूरक रिपोर्ट, 31 अगस्त, 1972 तक सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय , भारत सरकार को प्रस्तुत की जाएगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रीमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, उपराष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और दिल्ली प्रशासन को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

आनन्द स्वरूप शर्मा, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

RULES

New Delhi, the 22nd July 1972

No. 10/11/72-*CS*(*ii*).—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service to be held by the Institute of Sectt. Training & Management in December 1972 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the select list will be specified in the Notice issued by the Institute. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay Re-organisation Act, 1960, the Punjab Re-organisation Act, 1966, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1956, the Constitution, (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constituiton (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Institute of Secretariat Training and Management in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Institute.

4. (1) The following categories of persons, who satisfy the conditions in respect of length of service and age, specified in sub-para 2 below, are eligible to apply :—

(i) Permanent Lower Division Clerks of the Central Secretariat Clerical Service;

(ii) Regularly appointed temporary Lower Division Clerks to the Central Secretariat Clerical Service;

(iii) Permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerks belonging to the Central Secretariat Clerical Service on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority,

(iv) Permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerks belonging to the Central Secretariat Clerical Service appointed to ex-cadre posts or to another service on "transfer" but who continue to retain lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

(2) Length of Service and Age. The above categories of persons :

(a) Should have put in not less than five years approved and continuous service in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service or in any equivalent grade as on 1-7-1972.

(b) He should not be more that 35 years of age on 1-7-1972 *i.e.*, he must not have been born earlier than 2nd July 1937.

NOTE I.—The limit of five years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service and partly elsewhere in an equivalent grade.

NOTE II.—Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968, would on reversion from the Armed Forces, be allowed to count the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.

NOTE III.—"Equivalent grade" means any grade the minimum and maximum of the scale of pay of which were not less than Rs. 55/- and Rs. 130/-, respectively, prior to the 1st July, 1959, and are not less than Rs. 110/- and 180/-, respectively on or after the 1st July, 1959.

NOTE IV.—"Regularly appointed Lower Division Clerk" means a clerk allotted to any of the Cadres at the time of decentralisation (1962) or appointed thereafter on a long term basis to the Lower Division Grade according to the prescribed procedure.

NOTE V.—Lower Division Clerks who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

This, however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on "transfer" and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

(c) The age limit prescribed above will be relaxable in the case of a permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service who jointed the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968 and who has reverted therefrom, to the extent of the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces.

(d) The age limit prescribed above will be further relaxable :

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from Bangla Desh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January 1964 but before 25th March, 1971.

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Bangla Desh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964, but before 25th March, 1971.

(iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage.

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu.

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Repulic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(ix) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian Origin from Burma and has migrated to Indian on or after 1st June, 1963;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Defence Service personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

(3) *Type writing test.*—Unless exempted from passing the typewriting test held by Union Public Service Commission/Secretariat Training School (now Institute of Secretariat Training and Management) for the purpose of confirmation, in the Lower Division Grade, he should have passed this test on or before the date of notification of this examination.

4. The decision of the Institute as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

5. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Institute.

6. A candidate who is, or has been declared by the Institute guilty of impersonation or of submitting fabricated document or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period by the Institute from admission to any examination or appearance at any interview held by the Institute for selection of candidates; and

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules.

7. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Institute to be a conduct which would disqualify him for admisison to the examination.

8. Candidates must pay the fee prescribed in para 5(i) of the Institute's Notice.

9. After the examination, the candidates will be arranged by the Institute in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Institute to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for the Upper Divison Grade up to the required number.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Institute by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates, for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for the Upper Division Grade on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

10. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Institute in its discretion and the Institute will not enter into correspondence with them regarding the result.

11. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is eligible and suitable in all respects for selection.

12. A candidate, who after applying for admission to hte examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Clerical Service, or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services were terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

M. K. VASUDEVAN,
Under Secretary

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I.—Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II.—Evaluation of record of service of such of the candidates as may be decided by the Institute in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed will be as follows :—

Subject	Maximum marks	Time allowed
(i) Essay & Precis writing		
(a) Essay	50	2 Hours
(b) Precis writing	50	
(ii) Noting and Drafting and Office Procedure	100	2 Hours
(iii) General Knowledge	100	2 Hours

3. The syllabus for the examination will be as shown in the attached schedule.

4. Candidates are allowed the option to answer the papers in English or in Hindi (Devanagari) subject to the condition that at least one of the papers, *viz.*, (i) Essay and precis Writing, or (ii) Noting Drafting and Office Procedure, or (iii) General Knowledge must be answered in English.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) or English should indicate their intention to do so clearly in column 6 of the application form; otherwise, it would be presumed that they would answer the papers in English.

NOTE 3.—Candidates will not be allowed to change the option exercised by them.

NOTE 4.—Question papers will be supplied both in Hindi and English.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Institute have discretion to fix qualifying marks in any or all of the subjects at the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

(1) Essay and Precis Writing :

(a) *Essay.*—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(b) *Precis Writing.*—Passages will usually be set for summary or precis.

2. *Noting & Drafting and Office Procedure.*—The paper on Noting & Drafting and Office Procedure will be designed to test the candidate's knowledge of Office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts. Candidates are required to study the Manual of Office Procedure and the Rules of Procedure and conduct of business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha for this purpose.

3. *General Knowledge.*—The paper on General Knowledge will be intended *inter alia* to test the candidates' knowledge of Indian Geography as well as the country's administration, as also intelligent awareness of current affairs, both national and international which an educated person may be expected to have. Candidate's answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text books, reports etc.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Family Planning)

New Delhi, the 5th July 1972

RESOLUTION

No. 3-4/69-*MCH.*—In partial modification of the Ministry of Health and Family Planning (*Department of Family Planning*) Resolution No. 3-4/69-MCH dated the 28th June, 1971 the Government of India has decided that Smt. Uma Roy, Ex. M.P., Malda (West Bengal) shall be a member of the Central Maternal and Child Health Advisory Committee *vide* Smt. Devaki Gopidas, Ex. M.P., Kottayam, Kerala resigned.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments/Union Territories.

ORDERED further that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

D. N. CHOUDHRI, Director

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 27th June 1972

RESOLUTION

No. 24-1/72-*Genl. Coord.*—As a result of the great concern expressed by the Parliament and the Public on the recent tragic suicide of Dr. V. H. Shah, Senior Agronomist of the Indian Council of Agricultural Research, the Government of India have decided to set up a High Level Committee under the Chairmanship of a retired Chief Justice of the Supreme Court and consisting of distinguished leaders of Science and Education as members to enquire into the recruitment policies of the Indian Council of Agricultural Research with effect from the 1st July, 1972 for a period of about six months.

2. The following are the terms of reference of the Committee :—

(i) To examine the statements and incidents mentioned by Dr. Shah in the letter of May 5, 1972, addressed by him to the Director-General, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, before Dr. Shah committed suicide.

(ii) To review the recruitment and personnel policies of the Indian Council of Agricultural Research, Institutes and Centres working under it, and to suggest measures for their improvement.

(iii) To consider any other relevant matters which, in the opinion of the Committee, would help it to make effective recommendations.

3. It will consist of a Chairman and four Members, at present.

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the President's Secretariat, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Secretaries to the Govt. of all States and Union Territories, Agriculture Departments, all Attached and Subordinate Offices of the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, Parliament Library (5 copies).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Q. M. AHMAD, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

RESOLUTION

ORDER

New Delhi, the 24th June 1972

No. F. 1-37/71-*Schools*.4.—In accordance with the provisions of sub-Rule 3(iv) and sub-Rule 3(vii) read with the provisions of Rules 7 & 8 of the Rules (as amended to date) of National Council of Educational Research and Training and in continuation of their notification No. F. 1-37/71-Schools.4 dated the 29th March, 1972 the Government of India are pleased to extend the term of members of the National Council of Education Research and Training upto 30-9-1972.

Rule 3(iv)

1. Dr. K. L. Shrimali,
Vice-Chancellor,
Banaras Hindu University,
Varanasi.

2. Prof. S. N. Sen,
Vice-Chancellor,
Calcutta University,
Calcutta.

3. Shri N. D. Sundaravadivelu,
Vice-Chancellor,
Madras University,
Madras.

4. Smt. Sharda Diwan,
Vice-Chancellor,
S. N. D. T. Women's University,
1, Nathibai Thackersey Road,
Bombay 20 BR.

Rule 3(vii)

1. Shri Bhakt Darshan,
15, Gurdwara Rakabganj Road,
New Delhi.

2. Sh. H. Narasimhaiah,
Principal,
The National College,
Bangalore-4.

3. Sh. I. J. Patel,
'Samarpan' D-4,
Gulabai's Tokras,
Ahmedabad-6.

4. Sh. S. P. Verma,
Dy. Secretary to the Govt. of Madhya Pradesh,
Education Department,
Bhopal.

5. Prof. Rais Ahmed,
Head of the Department of Physics,
Aligarh Muslim University,
Aligarh.

6. Sh. D. B. Phatangare (Guruji),
President Maharashtra State Primary Teachers' Association,
Thombre Building,
Kopargaon, Distt. Ahmednagar,
Maharashtra.

7. Sh. S. V. Chittibabu,
Director of School Education,
Tamilnadu, Madras-6.

8. Km. K. Pasricha,
Principal,
Kanya Mahavidyalaya,
Jullundur City.

9. Dr. D. N. Gokhale,
Deccan Education Society's
New English School,
Tilak Road, Poona-9.

10. Dr. K. Kuruvila Jacob,
Principal,
The Cathedral & John Connon School,
6, Outram Road,
Bombay-1.

11. Sh. M. Abdul Ghani Saheb,
429, P. R. Street,
Muslimpur,
Vaniyambabi, Distt. North,
Arcot, (Tamil Nadu).

12. Sh. K. Sukumaran,
Education Officer,
Kendriya Vidyalaya Sangthan,
Nehru House, Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi-1.

K. K. BAKSI, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi-1, the 27th June 1972

RESOULATION

No. 2-*PG*(69)/71——The Government of India have received the Administration Report of the Port of Kandla for the year 1970-71. The salient features of the Report are reviewed below:—

1. Financial position

The income and expenditure of the Port during the year 1970-71 as compared to the previous year 1969-70 are indicated briefly in the following statement:—

Rs. in Lakhs

	1969-70	1970-71
I Operating Income . . .	201·38	197·64
II Operating Expenditure . .	194·92	218·32
Operating Surplus/Deficit . .	(+)6·46	(—)20·68
Add Finance Miscellaneous Income	59·25	43·85
	65·71	23·17
Less : Finance & Miscellaneous Expenditure	58·64	40·46
Net Surplus/Deficit . . .	(+)7·07	(—)17·29
Repayment of loans taken from Government	0·67	0·35
Net Revenue Surplus/Deficit .	(+)6·40	(—)17·64

The decrease in "Operating income' was mainly due to fall in traffic and that in Finance and Miscellaneous Income was due to adjustment of interest on accrual basis in the year 1969-70, besides taking into account the interest relating to year 1968-69 and realised in the year 1969-70.

The increase in operating expenditure during the year 1970-71 as compared to the year 1969-70 was mainly due to increase in expenditure on repairs and maintenance of dredger "Kandla" and other maintenance costs. The decrease in expenditure under "Finance and Miscellaneous" in the year 1970-71 as compared to the previous year was due to booking of more expenditure in the year 1969-70 as a result of implementation of the Wage Board's recommendations and the introduction of accrual system of accounting.

The outstanding debt of the Port payable to the Government of India at the close of the year 1970-71 in respect of loans taken after the formation of the Port Trust was Rs. 250·98 lakhs.

The balances at the end of the year in various funds, etc. were as follows:—

	Rs. in lakhs
(*i*) General Reserve Fund	117·21
(*ii*) Pilotage Revenue Account . . .	(—)12·19
(*iii*) Provision for Depreciation . . .	265·68
(*iv*) Provident Fund	81·25
(*v*) Employees Welfare Fund . . .	00·37

2. Traffic

(*a*) *Trade :* The traffic which passed through the Port of Kandla in 1970-71, as compared to 1969-70, was as indicated in the table below: —

Year	Imports	Exports	Total traffic
	(In lakhs of metric tonnes)		
1969-70 . . .	18·04	3·06	21·10
1970-71 . . .	14·74	1·38	16·12

(*b*) *Shipping :* Excluding sailing vessels 232 vessels with 18·91 lakhs gross tonnage entered the port during 1970-71 as against 267 vessels with a gross tonnage of 22·63 lakhs in 1969-70.

3. Labour Welfare Activities

Amenities such as housing, consumer cooperative stores, educational facilities, clubs, canteens, medical facilities etc., were continued.

4. Capital Works

The total expenditure on Capital Works during the year under review was Rs. 45·88 lakhs.

The following statement indicates the details of the important works in progress during the year 1970-71.

S. No.	Name of work	Estimated cost	Expenditure upto 31-3-1971
		Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
1.	Construction of two additional Cargo berths . . .	292·15	182·90
2.	Construction of 330 quarters at New Kandla	39·67	42·61
3.	Construction of broad gauge link from Sarva Station to Kandla .	74·71	69·68
4.	Construction of Cargo Jetty including transit sheds . . .	474·38	468·54
5.	Purchase of Dredger S. D. Kandla	91·97	89·91
6.	Purchase of 100 H. P. Tug Roopavati	35·23	39·11
7.	Purchase and Erection of quay cranes for Bunder & Cargo Jetty	75·40	73·74
8.	Construction of Diaphragm wall in front of 5th berth . . .	39·48	29·90

5. Acknowledgements

Government view with satisfaction the work of the Port Trust Board during the year under review.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. SIVARAJ, Joint Secy.

New Delhi, the 28th June 1972

RESOLUTION

No. 28-*MT*(26)/71—In pursuance of the Government of India late Ministry of Transport and Communications (Department of Transport) Resolution No. 24-MT(6)/52 dated the 17th August, 1959, as amended from time to time, the Central Government reconstituted the Merchant Navy Training Board for a period of two years with effect from the 24th January 1970. On the expiry of the life of that Board on 23-1-1972, the Central Government hereby sets up a Merchant Navy Training Board for a period of two years consisting of the following members and nominates Shri B. T. Kulkarni, Member, Rajya Sabha to be the Chairman of the said Board, with effect from the date of publication of this Resolution:—

1. Shri B.T. Kulkarni . . .	Chairman.
2. Director General of Shipping .	Vice-Chairman Ex-officio
3. Deputy Secretary, Ministry of Shipping & Transport, dealing with the Merchant Navy Training Institutions.	Member Ex-officio.
4. Deputy Secretary, Ministry of Finance (Department of Expenditure) dealing with the Ministry of Shipping and Transport . .	Do.
5. Chief Surveyor with the Government of India	Do.
6. Nautical Adviser to the Government of India.	Do.
7. Principal, Lal Bahadur Shastri Nautical and Engineering College, Bombay.	Do.
8. Capt. Supdt. Training Ship RAJENDRA, Bombay.	Do.
9. Director, Marine Engineering Training, Calcutta.	Do.
10. Capt. Supdt. Ratings Training Establishment 'Navlakshi' Navlakhi, Gujarat.	Member Ex-officio
11. Shri Salebhoy Abdul Kadar, Member Lok-Sabha.	Representative of Parliament.
12. Shri Joachim Alva, Member Rajya-Sabha.	Do.
13. Deputy Education Adviser (T), Western Regional Office, Industrial Assurance Building, 2nd Floor, Vir Nariman Road, Opp. Churchgate Station, Bombay-20.	Representative of the Ministry of Education.
14. Commodore Gautam Singh, Director, Sub-Marine Arm, Naval Head-Quarters, New Delhi.	Representative of the Ministry of Defence (Naval Head Quarters.)
15. Dr. P. K. Kelkar, Director Indian Institute of Technology, Powai, Bombay.	Representative of the all India Council for Technical Education.
16. Capt. B. L. Mittal, Director, Marine Department, The Commissioners for the Port of Calcutta, Calcutta.	Representative of the Port Trusts.
17. Capt. R. D. Kohli, Chief Technical Manager, Shipping Corporation of India Bombay.	Representative of the Shipping Corporation of India.

18. Shri N. H. Dhunjibhoy, M/s. South East Asia Shipping Co., Himalaya House, D.N. Road, Bombay-1.	Representatives of Indian National Shipowners Association.
19. Capt. G.P. Bhalla, M/s. South India Shipping Corporation Limited, 175/1, Mount Road, Madras-2.	Do.
20. Capt. D. Houghton/Capt. B.S. Pavri, (alternate member in the event of the Board's meeting in Calcutta).	Representatives of Calcutta Liners Conference (Crews) and the Owners/Agents Committee (Crews) Bombay.
21. Shri H. M. Trivedi . .	Representative of the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, New Delhi.
22. Shri J. D. Randeri . . .	Representative of Maritime Union of India, Bombay.
23. Shri Leo Barnes . . .	Representative of the National Union of Seafarers of India, Bombay.
24. Deputy Director General of Shipping, Bombay dealing with Merchant Navy Training Institutions.	Ex-officio Member-Secretary.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Private and Military Secretaries to the President, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, all the Ministries of the Government of India, all the State Governments, the Port Trusts and the Director General of Shipping, Bombay.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

G. C. BAVEJA, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 21st June 1972

RESOLUTION

No. EL.III-11(34)/71.—In this Ministry's Resolution No. EL.III-11(34)/71 dated the 16th May, 1972, constituting a Technical Advisory Committee to advise the Central Hydro-Electric Projects Control Board on the problems pertaining to the design and construction of the various structures of the Salal Hydro Electric Project, the following entry shall be made as No. 7 in para 1;

7. Professor S. C. Katoch,
Head, Water Resources Development Training Centre, University of Roorkee, Roorkee (U.P.).

The existing entry No. 7 may be renumbered as No. 8.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Secretary to the President, all the Department/Ministries of the Government of India, the Comptroller and Auditor General of India and Planning Commission.

ORDERED also that the above Resolution be published in the Gazette of India.

B. P. PATEL, Secy.

New Delhi-1, the 29th June 1972

RESOLUTION

No. 13(17)/70-*EI.III(CM)*.—In continuation of this Ministry's Resolution No. EL.III-13(17)/70, dated the 14th January, 1971, relating to the appointment of a Committee under the Chairmanship of Shri T. Sivasankar to enquire into the various demands of the ngineers of Delhi Electric Supply Undertaking, it has been decided that the term of the Committee which was extended up to the 31st May, 1972 *vide* this Ministry's Resolution No. EL.III-13(17)/70, dated the 24th April, 1972, be further extended up to the 31st August, 1972, to enable them to give their report in respect of the additional terms referred to them vide this Ministry's Resolution No. EL.III-13(17)/70, dated the 11th December, 1971. The supplementary report of the Committee will be submitted to the Government of India in the Ministry of Irrigation and Power latest by the 31st August, 1972.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to Delhi Electric Supply Undertaking, all Ministries/Departments of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Secretary to the President, the Secretary to the Vice-President, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India and the Delhi Administration.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. S. SHARMA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972